शपथ पत्र–2 (डे–स्कालर्स के लिय)

(रू0 10.00 के नॉन ज्यूडीषियल स्टॉम्प पर)

मैं (नाम).. परिचयॉक संख्या .... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती .... पता ....

शपथ लेता हूॅ कि मैं विष्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान विष्वविद्यालय के नियमों का पालन करूॅगा/करूॅगी। । मैं यह भी शपथ लेता हूॅ कि नीचे दिये गये नियमों का विषेष रूप से पालन करूॅगा/करूॅगी।

1. मैं हॉस्टल एण्ड कैफेटेरिया रेग्यूलेशन के नियम–13 के तहत महाविद्यालय एवं छात्रावास में प्रवेश के समय तथा वि0वि0 परिसर में सुरक्षा कर्मियों अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर अपना परिचय पत्र अवश्य दिखाउॅगा/दिखाउॅगी।
2. मैं परिसर से बाहर जाने की स्थिति में हॉस्टल एण्ड कैफेटेरिया रेग्यूलेशन के नियम 34 के तहत अपने महाविद्यालय के अधिष्ठाता से अवकाश स्वीकृत कराने के उपरांत ही प्रस्थान करूॅगा/करूॅगी।
3. मैं हॉस्टल एण्ड कैफेटेरिया रेग्यूलेशन के नियम 30 के तहत वि0वि0 परिसर में मोटरचालित दोपहिया/चारपहिया वाहन का रखना अथवा प्रयोग करना छात्रों के लिए प्रतिबन्धित होने के कारण इन वाहनों का परिसर में प्रयोग नहीं करूॅगा/करूॅगी। मुझे भलीभांति ज्ञात है कि मेरे विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ–साथ मेरे वाहन को जब्त किया जायेगा। अतः मैं मोटर चालित वाहन के स्थान पर साइकिल, ई–रिक्शा तथा वि0वि0 शटल का प्रयोग करूॅगा/करूॅगी।
4. मैं छात्रावास के अन्दर अथवा बाहर, जन्मदिन तथा विदाई समारोह आदि शिष्टतापूर्ण एवं शांतिपूर्ण तरीके से रात्रि 10.00 बजे तक ही मनाउंगा/मनाउंगी तथा ऐसे अवसरों पर मैं ऐसे किसी वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं करूंगा/करूंगी जिससे छात्रावास अथवा बाहरी परिसर में किसी अन्य को असुविधा हो।
5. मेरे छात्रावास में प्रवेश करने की स्थिति में, मैं हॉस्टल एण्ड कैफेटेरिया रेग्यूलेशन के नियम 38 V(B) तथा 40 (VII) के तहत छात्रावास के सामान्य कक्ष, भोजनालय हाल तथा छात्रावास के बाहर वि0वि0 परिसर में औपचारिक/शालीन वेशभूषा धारण करूॅगा/करूॅगी।
6. मैं हॉस्टल एण्ड कैफेटेरिया रेग्यूलेशन के नियम 41(r) के तहत सुरक्षा कारणों से विश्वविद्यालय परिसर में कहीं भी इयर फोन का प्रयोग नहीं करूॅगा/करूॅगी। उल्लंघन की स्थिति में जो भी दण्ड दिया जायेगा, मुझे स्वीकार होगा।
7. मुझे ज्ञात है कि विश्वविद्यालय नियमानुसार कक्षाओं में 85 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। विशेष परिस्थितियों में उपस्थिति 10 प्रतिशत तक माफ हो सकती है। 75 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में

सम्बन्धित विषय में विद्यार्थी फेल माना जायेगा। अतः मैं अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहूंगा/रहूंगी।

8. . मैं परीक्षा में नकल नहीं करूंगा/करूंगी। मुझे ज्ञात है कि नकल में पकडे जाने के फलस्वरूप मुझे विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा मुझे द्विबिन्दु चरित्र प्रमाणपत्र भी नहीं दिया जायेगा।

9. मैं धूम्रपान अथवा किसी भी नशे का सेवन नहीं करूँगा/करूँगी। मुझे ज्ञात है कि धूम्रपान एवं नशे का सेवन दण्डनीय अपराध है ।

10. मैं नियोजन के समय पार्टियों आदि में दूसरे विद्यार्थियों को क्षति पहुंचाने जैसी किसी प्रकार की कार्यवाही में भागीदारी नहीं करूँगा/करूँगी।

11. मुझें ज्ञात है कि अनुशासनहीनता के लिए दण्डित होने पर चरित्र परिवीक्षा (सी.पी) पर रखे जाने की स्थिति में वि0वि0 से देय समस्त सुविधायें बन्द हो जाती हैं। अतः मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा/करूँगी कि मुझे अनुशासनहीनता की श्रेणी में आना पडे।

12. मैं जानता/जानती हूं कि रैगिंग करना अथवा सहयोग करना अपराध है। पकडे जाने पर जेल जाने जैसे गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। अतः मैं रैगिंग जैसे कृत्य से दूर रहूंगा/रहूंगी।

13. मैं भारत सरकार के स्वच्छता मिशन को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करूँगा/करूँगी। मुझे ज्ञात हैं कि स्वच्छता का पालन न करने की स्थिति में मेरा कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जायेगा।

14. मैं सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी तथा उनसे किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करूँगा/करूँगी। निर्देश नियमानुसार न होने की स्थिति में छात्रावास अभिरक्षक/मुख्य छात्रावास अभिरक्षक को लिखित शिकायत प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।

15. यह विश्वविद्यालय मेरा है। मैं इस विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण सदस्य हूं। मैं अपनी महत्ता को पहचानते हुए विश्वविद्यालय की गरिमामयी प्रगति हेतु सदैव प्रयासरत रहूंगा/रहूंगी। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी जिससे विश्वविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचे।

छात्र के हस्ताक्षर.................................. दिनॉकः ....

छात्र का नाम ....

पाठ्यक्रम का नाम ....

महाविद्यालय का नाम ....

अभिभावक के प्रतिहस्ताक्षर ....

अभिभावक का नाम ....

दिनॉकः ....